राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2025 / 07 मार्गशीर्ष, 1947

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 4th November, 2025

No. HHC/GAZ/14-321/2011-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant *ex-post-facto* sanction of 04 days commuted leave *w.e.f.* 08-09-2025 to 11-09-2025, in favour of Smt. Neha Sharma, Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Una.

Certified that Smt. Neha Sharma had joined the same post and at the same station from where she proceeded on leave, after expiry of the above period of leave.

Certified that Smt. Neha Sharma would have continued to hold the same post of Senior Civil Judge-*cum*-CJM, Una but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 4th November, 2025

No. HHC/GAZ/14-269/2003-I.—Hon'ble the Chief Justice has been please to grant 08 days earned leave *w.e.f.* 06-11-2025 to 13-11-2025 with permission to prefix Gazetted holiday falling on 05-11-2025 in favour of Dr. Parvinder Singh Arora, Additional District and Sessions Judge (C.B.I.), Shimla, H.P.

Certified that Dr. Parvinder Singh Arora is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Parvinder Singh Arora would have continued to hold the post of Additional District and Sessions Judge (C.B.I.), Shimla but for his proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 4th November, 2025

No. HHC/GAZ/14-53/74-VII.—Pursuant to appointment of S/Sh. Sandeep Sharma and Navish Bhardwaj, as Additional District and Sessions Judges, *vide* Notification No. Home. B.A(2)11/2006-HC-Vol-III, dated 30-10-2025, they are posted against the vacant Court/post of Additional District and Sessions Judges for the purpose of drawal of salary till further orders, as under:—

1. Sh. Sandeep Sharma, Additional District and Sessions Judge-III, Kangra at Dharamshala.

2. Sh. Navish Bhardwaj, Joint Director, H.P. Judicial Academy, Shimla

They shall undergo two months' induction/practical training *i.e.* one month at the H.P. Judicial Academy, Shimla and one month in the District Courts, Shimla.

Note.—1. Both of the above named Judicial Officers shall be on probation for a period of two years.

2. Their regular posting orders will be issued later on.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 6th November, 2025

No. HHC/Estt.3(460)/96.—04 days commuted leave *w.e.f.* 09-09-2025 to 12-09-2025 with permission to suffix second Saturday and Sunday on 13th & 14th September, 2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Madhu Chauhan, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Madhu Chauhan has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Madhu Chauhan would have continued to officiate the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 10th November, 2025

No. HHC/GAZ/14-310/09-I.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 06 days earned leave *w.e.f.* 17-11-2025 to 22-11-2025 with permission to prefix and suffix Sundays falling

on 16-11-2025 and 23-11-2025, respectively in favour of Dr. Arvind Malhotra, Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala, H.P.

Certified that Dr. Arvind Malhotra is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Dr. Arvind Malhotra, would have continued to hold the post of Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala but for his proceeding on leave for the above period.

.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 11th November, 2025

No. HHC/GAZ/14-386/2018.—Hon'ble the Chief Justice has been pleased to grant 30 days earned leave *w.e.f.* 12-11-2025 to 11-12-2025 with permission to prefix maternity leave and earned leave falling *w.e.f.* 16-04-2025 to 11-11-2025 in favour of Ms. Isha Agarwal, Civil Judge-*cum*-JMFC, Nalagarh.

Certified that Ms. Isha Agarwal is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave, after expiry of the above period of leave.

Also certified that Ms. Isha Agarwal would have continued to hold the post of Civil Judge-*cum*-JMFC, Nalagarh, H.P., but for her proceeding on leave for the above period.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 10th November, 2025

No. HHC/Admin.6 (23)/74-XVII.—Hon'ble the Chief Justice in exercise of the powers vested in him under Rule 2(32) of Chapter 1 of H.P. Financial Rules, 2009 has been pleased to declare the Additional District and Sessions Judge-I, Kangra at Dharamshala as Drawing and Disbursing Officer in respect of the Court of Principal Judge, Family Court, Kangra at Dharamshala and also the Controlling Officer for the purpose of salary, T.A. etc. in respect of Class

II to IV establishments attached to the aforesaid Court under Major head "2014 Administration of Justice" during the leave period of Dr. Arvind Malhotra, Principal Judge, Family Court Kangra at Dharamshala *w.e.f.* 17-11-2025 to 22-11-2025 with permission to prefix and suffix Sundays falling on 16-11-2025 and 23-11-2025, respectively or till he returns from leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 1st November, 2025

No. HHC/ Admn.3(390)/94-1.—13 days earned leave on and with effect from 10-11-2025 to 22-11-2025 with permission to prefix second Saturday and Sunday falling on 8th & 9th November, 2025 and suffix Sunday falling on 23-11-2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Rajesh Kumar Sharma, Additional Registrar of this Registry.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Rajesh Kumar Sharma would have continued to officiate the same post of Additional Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 1st November, 2025

No. HHC/Estt.3(677)/2009.—12 days earned leave on and with effect from 03-11-2025 to 14-11-2025 with permission to prefix Sunday falling on 02-11-2025 is hereby sanctioned in favour of Shri Yashwant Singh Chauhan, Secretary of this Registry.

Certified that Shri Yashwant Singh Chauhan is likely to join the same post and at the same station from where he proceeds on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Yashwant Singh Chauhan would have continued to officiate the same post of Secretary but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 1st November, 2025

No. HHC/Estt.3(552)/2004-1.—10 days earned leave *w.e.f.* 06-10-2025 to 15-10-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Smt. Vandna Sharma, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Vandna Sharma has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Vandna Sharma would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd November, 2025

No. HHC/Estt.3(406)/95-II.—03 days commuted leave *w.e.f.* 08.-10-2025 to 10-10-2025 with permission to suffix second Saturday and Sunday on 11th & 12th October, 2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Shri Gopal Sawroop Kaushal, Deputy Registrar of this Registry.

Certified that Shri Gopal Sawroop Kaushal has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Shri Gopal Sawroop Kaushal would have continued to officiate the same post of Deputy Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 1st November, 2025

No. HHC/Estt.3(517)/2001-I.—02 days earned leave for 03-11-2025 and 04-11-2025 with permission to prefix Sunday falling on 02-11-2025 is hereby sanctioned in favour of Smt. Mamta Rao, Secretary of this Registry.

Certified that Smt. Mamta Rao is likely to join the same post and at the same station from where she proceeds on leave after expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Mamta Rao would have continued to officiate the same post of Secretary but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd November, 2025

No. HHC/Admn.3(352)/92-I.—03 days commuted leave *w.e.f.* 13-10-2025 to 15-10-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto,* in favour of Smt. Nisha Ahluwalia, Court Master of this Registry.

Certified that Smt. Nisha Ahluwalia has joined the same post and at the same station from where she had proceeded on leave, after expiry of the above leave period.

Certified that Smt. Nisha Ahluwalia would have continued to hold the same post of Court Master but for her proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd November, 2025

No. HHC/Estt.3(642)/2009.—04 days commuted leave on and with effect from 13-10-2025 to 16-10-2025 is hereby sanctioned, *ex-post-facto,* in favour of Sh. Dayal Singh Thakur, Court Master of this Registry.

Certified that Sh. Dayal Singh Thakur, has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Dayal Singh Thakur,would have continued to officiate the same post of Court Master but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 3rd November, 2025

No. HHC/Estt.3(1048)/2020.—16 days earned leave on and with effect from 11-09-2025 to 26-09-2025, is hereby sanctioned, *ex-post-facto*, in favour of Sh. Gangesh Sood, Assistant Registrar of this Registry.

Certified that Sh. Gangesh Sood, has joined the same post and at the same station from where he had proceeded on leave after the expiry of the above leave period.

Certified that Sh. Gangesh Sood, would have continued to officiate the same post of Assistant Registrar but for his proceeding on leave.

By order,

Sd/-
Registrar General.

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 1st November, 2025

No HHC/Admn.16 (8)74-V.—Hon'ble the Chief Justice, in exercise of the powers vested in him u/s 139(b) of the Code of Civil Procedure, 1908, Section 333 (1)(b) of the Bharatiya Nagarik

Suraksha Sanhita, 2023 and Rule 5(vi) of the H.P. Oath Commissioners (Appointment & Control) Rules, 2007, has been pleased to appoint S/Sh. Surinder Kumar Sharma (HIM/233/2023) and Akash (HIM/138/2022), Advocates as Oath Commissioners at Sub-Division **Bhoranj,** District Hamirpur, H.P. for a period of two years with immediate effect for administering oaths and affirmations on affidavits to the deponents under the aforesaid Codes and Rules.

By order of Hon'ble the Chief Justice,

Sd/-
Registrar (Administration).

HIGH COURT OF HIMACHAL PRADESH, SHIMLA-171 001

NOTIFICATION

Dated, the 6th November, 2025

No. HHC/Admn.E.5(13)2023-PS.— Sh. Ganesh Dutt, Private Secretary of the office of the District and Sessions Judge, Sirmaur at Nahan, H.P., shall stand retired from service on and with effect from 31-01-2026 (AN) on attaining the age of superannuation as per provision of Rule 74 of CCS (Pension) Rules, 1972.

By order,

Sd/-
Registrar General.

SPECIFIC NOTIFICATION
FINANCE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-171 002, the 27th November, 2025

No. Fin-2-C(12)1/2025.—Government of Himachal Pradesh hereby notifies the sale of Himachal Pradesh Government Stock (Securities) of **4**-year tenure for an aggregate amount of Rs. 3**50 crore** (Nominal). The sale will be subject to the terms and conditions spelt out in this notification (called specific Notification) as also the terms and conditions specified in the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 of Government of Himachal Pradesh.

Object of the Loan :

1. (i) The Proceeds of the State Government Securities will be utilize for the development programme of the State of Himachal Pradesh.

   (ii) Consent of Central Government has been obtained to the floatation of this loan as required by Article 293(3) of the Constitution of India.

Method of Issue :

2. Government Stock will be sold through the Reserve Bank of India, Mumbai Office (PDO) Fort, Mumbai-400 001 by auction in the manner as prescribed in paragraph 6.1 of the General Notification No. Fin-2-C(12)-11/2003 dated July 20, 2007 at a coupon rate to be determined by the Reserve Bank of India at the **yield** based auction under multiple price formats.

Allotment to Non-competitive Bidders :

3. The Government Stock up to 10 % of the notified amount of the sale will be allotted to eligible individuals and institutions subject to a maximum limit of 1 % of the notified amount for a single bid as per the Revised Scheme for Non-competitive Bidding Facility in the Auctions of State Government Securities of the General Notification (Annexure -II).

Place and Date of Auction :

4. The auction will be conducted by the Reserve Bank of India, at its Mumbai Office, Fort, Mumbai-400 001 on **December 02, 2025**. Bids for the auction should be submitted in electronic format, on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system as stated below on **December 02, 2025**:

(a) The competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.30 A.M.

(b) The non-competitive bids shall be submitted electronically on the Reserve Bank of India Core Banking Solution (E-Kuber) system between 10.30 A.M. and 11.00 A.M.

Result of the Auction :

5. The result of the auction shall be displayed by the Reserve Bank of India on its website on the same day. The payment by successful bidders will be on **December 03, 2025**.

Method of Payment :

6. Successful bidders will make payments on **December 03, 2025** before close of banking hours by means of cash, bankers' cheque/pay order, demand draft payable at Reserve Bank of India, Mumbai/New Delhi or a cheque drawn on their account with Reserve Bank of India, Mumbai (Fort)/New Delhi.

Tenure :

7. The Stock will be of **4**-year tenure. The tenure of the Stock will commence on **December 03, 2025**.

Date of Repayment :

8. The loan will be repaid at par on **December 03, 2029**.

Rate of Interest :

9. The cut-off yield determined at the auction will be the coupon rate percent per annum on the Stock sold at the auction. The interest will be paid on **June 03 and December 03.**

Eligibility of Securities :

10. The investment in Government Stock will be reckoned as an eligible investment in Government Securities by banks for the purpose of Statutory Liquidity Ratio (SLR) under section 24 of the Banking Regulation Act, 1949. The stocks will qualify for the ready forward facility.

By order and in the name of the Governor of Himachal Pradesh,

Sd/-
(DEVESH KUMAR, IAS)
Principal Secretary (Finance),
to the Government of Himachal Pradesh.

कार्मिक विभाग, प्रशासनिक सुधार

दिनांक, 28 नवम्बर, 2025

हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयोग, शिमला में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर नियुक्ति

प्रारंभ तिथि: 28.11.2025	**अंतिम तिथि: 27.12.2025**

विज्ञापन संख्या: 11/2025.—1. इस विभाग के विज्ञापन संख्या 07/2025 दिनांक 01.07.2025 तथा संख्या 05/2025 दिनांक 19.05.2025 के माध्यम से हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के पदों को भरने के लिए विज्ञापन जारी किए गए थे, को निरस्त करते हुए भारत के नागरिकों से हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के पदों पर चयन/नियुक्ति हेतु नए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जैसा कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 15 (5) एवं (6) में निहित प्रावधानों के अंतर्गत है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त वह व्यक्ति होगा जो सार्वजनिक जीवन में प्रतिष्ठित हो तथा विधि, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक सेवा, प्रबंधन, पत्रकारिता, जनसंचार या प्रशासन एवं शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखता हो तथा जो संसद का सदस्य या किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की विधानसभा का सदस्य न हो, और न ही किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन हो, किसी राजनीतिक दल से जुड़ा हो, कोई व्यापार कर रहा हो या कोई पेशा अपना रहा हो। कार्यालय में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पद का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा या जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता, जो भी पहले हो।

2. योग्य एवं इच्छुक अभ्यर्थी राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त के पदों हेतु अपना बायोडाटा निर्धारित प्रपत्र (अनुबंध–क व अनुबंध–ख) में भेज सकते हैं, जिसे प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट **www.himachal.nic.in/ar** से डाउनलोड किया जा सकता है। आवेदन सचिव (ए.आर.), सरकार हिमाचल प्रदेश, कक्ष संख्या A201 या A203 (आर्म्सडेल बिल्डिंग), हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला-2 को संबोधित होना चाहिए या ई-मेल द्वारा **arsecy-hp@nic.in** अथवा **arbr-hp@nic.in** पर भेजा जा सकता है।

3. आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 27.12.2025 सायं 5:00 बजे तक है। अधूरे आवेदन या अंतिम तिथि के बाद प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यह विज्ञापन प्रशासनिक सुधार विभाग की वेबसाइट **www.himachal.nic.in/ar** तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की वेबसाइट **www.hp.gov.in/sic** पर भी उपलब्ध है।

(Note.—'For inquiry please contact on 0177-2880400, 2620560 any working day between 10:00 AM to 5:00 PM').

अनुबंध–क

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला-2

प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यहां चिपकाएं

1. आवेदक का नाम:.....

2. पिता/पति का नाम:.....

3. जन्म तिथि:.....

4. वर्तमान पता:.....

5. स्थायी पता:.....

6. संपर्क विवरण:

(a) टेलीफ़ोन नंबर (STD कोड सहित): .....

(b) मोबाइल नंबर: .....

(c) ई-मेल आईडी: .....

7. शैक्षणिक योग्यता:.....

8. विशेषज्ञता / विशिष्टता:.....

9. वर्तमान व्यवसाय / पेशा:.....

10. उपलब्धियां / कार्य अनुभव (संक्षेप में):.....

.....

तारीख: _____

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____
आवेदक का नाम: _____
मोबाइल नंबर: _____

नोट:

किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे तक पूछताछ हेतु 0177-2880400, 2620560 पर संपर्क करें।

अनुबंध–ख

राज्य सूचना आयुक्त के पद हेतु आवेदन पत्र हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, शिमला-2

प्रपत्र

नवीनतम पासपोर्ट साइज फोटो यहां चिपकाएं

1. आवेदक का नाम:.....

2. पिता/पति का नाम:.....

3. जन्म तिथि:.....

4. वर्तमान पता:.....

5. स्थायी पता:.....

6. संपर्क विवरण:

(a) टेलीफ़ोन नंबर (STD कोड सहित): .....

(b) मोबाइल नंबर: .....

(c) ई-मेल आईडी: .....

7. **शैक्षणिक योग्यता:**.....

8. **विशेषज्ञता / विशिष्टता:**.....

9. **वर्तमान व्यवसाय / पेशा:**.....

10. **उपलब्धियां/ कार्य अनुभव (संक्षेप में):**.....

.....

तारीख: _____

स्थान: _____

हस्ताक्षर: _____

आवेदक का नाम: _____

मोबाइल नंबर: _____

नोट:

किसी भी कार्य दिवस में प्रातः 10:00 बजे से सायं 5:00 बजे तक पूछताछ हेतु 0177-2880400, 2620560 पर संपर्क करें।

PERSONNEL, ADMINISTRATIVE REFORMS DEPARTMENT

APPOITMENT TO THE POSTS OF STATE CHIEF INFORMATION COMMISSIONER AND STATE INFORMATION COMMISSIONER IN HIMACHAL PRADESH STATE INFORMATION COMMISSION, SHIMLA

Dated, the 28th November, 2025

Opening Date: 28-11-2025	**Closing Date: 27-12-2025**

Advertisement No. 11/2025.—1. In supersession of this department's advertisements No. 07/2025 dated 01-07-2025 and No. 05/2025 dated 19-05-2025 for filling up the posts of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in Himachal Pradesh State Information Commission, Shimla, fresh applications are invited from citizen of India for selection/appointment on the post of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner in Himachal Pradesh State Information Commission, Shimla, under the provision contained in Section 15 (5) & (6) of the Right to Information Act, 2005. The State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner shall be a person of eminence in public life with wide knowledge and experience in law, science and technology, social service, management, journalism, mass media or administration and governance and shall not be a Member of Parliament or Member of the Legislature of any State or Union territory, as the case may be or hold any other office of profit or connected with any political party or carrying on any business or pursuing any profession. The term of holding office shall be three years from the date on which a State Information Commissioner enters upon his office or till he attains the age of 65 years whichever is earlier.

2. Eligible and interested candidates can send their biodata for the post of State Chief Information Commissioner and State Information Commissioner on prescribed Proforma (Annexure-A and Annexure-B) that can be downloaded from AR department website www.himachal.nic.in/ar. Applications should be addressed to the Secretary (AR) to the Govt. of H.P., Room No. A201 or A203 (Armsdale Building), H.P Secretariat Shimla-2 or be sent by e-mail to arsecy-hp@nic.in or arbr-hp@nic.in

3. The last date of receipt of application is 27.12.2025 upto 5:00 PM. Incomplete applications or applications received after deadlines will not be accepted. Advertisement is also uploaded on AR department website: www.himachal.nic.in/ar and HP State Information Commission website: www.hp.gov.in/sic

(Note.—'For inquiry please contact on 0177-2880400, 2620560 any working day between 10:00 AM to 5:00 PM').

Annexure-A.

Application for the post of State Chief Information Commissioner in H.P State Information Commission, Shimla-2

PROFORMA

Latest passport Size photograph

1. Name of Applicant ----------
2. Name of Father/Spouse ----------
3. Date of Birth ----------
4. Present Address ----------
5. Permanent Address ----------
6. Contact Number :
   (a) Telephone No. with STD code ----------
   (b) Mobile No. ----------
   (c) e-mail id ----------
7. Qualifications ----------
8. Specialization/eminence ----------

9. Present Occupation ----------

10. Achievements/Work experience (in brief) ----------

Date:.....
Place:.....

Signature.....
Name of Applicant.....
Mobile No.....

Note.—'For inquiry please contact on 0177-2880400,2620560 any working day between 10:00 AM to 5:00 PM'.

Annexure-B

Application for the post of State Information Commissioner in H.P State Information Commission, Shimla-2

PROFORMA

Latest passport Size photograph

1. Name of Applicant ----------

2. Name of Father/Spouse ----------

3. Date of Birth ----------

4. Present Address ----------

5. Permanent Address ----------

6. Contact Number :

   (a) Telephone No. with STD code ----------

   (b) Mobile No. ----------

   (c) e-mail id ----------

7. Qualifications ----------

8. Specialization/eminence ----------

9. Present Occupation ----------

10. Achievements/Work experience (in brief) ----------

Date:.....
Place:.....

Signature.....
Name of Applicant.....
Mobile No.....

Note.—'For inquiry please contact on 0177-2880400, 2620560 any working day between 10:00 AM to 5:00 PM'.

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती उमा देवी पुत्री संत राम, निवासी टीका चारियां दी धार, डाकघर बौड़ू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D) Delayed 2024 / 2–21011, दिनांक 12–09–2025 अनुसार श्रीमती उमा देवी पुत्री संत राम, निवासी टीका चारियां दी धार, डाकघर बौड़ू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 03–03–1967 को हुआ परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत चारियां दी धार के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 03–03–1967 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत चारियां दी धार में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती उमा देवी पुत्री संत राम, निवासी टीका चारियां दी धार, डाकघर बौड़ू, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 03–03–1967 को ग्राम पंचायत चारियां दी धार के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 09–12–2025 तक असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री नरेश कुमार कुमार पुत्र जुल्फी राम, निवासी टीका समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D) Delayed 2024 / 2–23095, दिनांक 08–10–2025 अनुसार श्री नरेश कुमार कुमार पुत्र जुल्फी राम, निवासी टीका समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 24–03–1985 को हुआ परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 24–03–1985 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री नरेश कुमार कुमार पुत्र जुल्फी राम, निवासी टीका समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 24–03–1985 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 09–12–2025 तक असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

––––––––––

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री शक्ति चन्द पुत्र नरैण राम, निवासी टीका संगरोह कलां, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D) Delayed 2024 / 2–24611, दिनांक 01–11–2025 अनुसार श्री शक्ति चन्द पुत्र नरैण राम, निवासी टीका संगरोह कलां, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 05–09–1959 को हुआ परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 05–09–1959 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत समीरपुर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री शक्ति चन्द पुत्र नरैण राम, निवासी टीका संगरोह कलां, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 05–09–1959 को ग्राम पंचायत समीरपुर के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 09–12–2025 तक असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती सुमना देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी टीका कक्कड़ (सिहडी), तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D) Delayed 2024 / 2–21972, दिनांक 22–09–2025 अनुसार श्रीमती सुमना देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी टीका कक्कड़ (सिहडी), तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 27–01–1977 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 27–01–1977 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत कक्कड़ में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुमना देवी पुत्री मुन्शी राम, निवासी टीका कक्कड़ (सिहडी), तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 27–01–1977 को ग्राम पंचायत कक्कड़ के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 09–12–2025 तक असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर / एतराज पेश कर

सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्रीमती सुरेशा देवी पुत्री विधि चंद, निवासी टीका झनिकर, डाकघर बराडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D) Delayed 2024 / 2–22266, दिनांक 23–09–2025 अनुसार श्रीमती सुरेशा देवी पुत्री विधि चंद, निवासी टीका झनिकर, डाकघर बराडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ, जिसमें उल्लेख है कि उसका जन्म दिनांक 12–03–1969 को हुआ है लेकिन किसी कारणवश ग्राम पंचायत बारीं के रिकार्ड में उक्त जन्म का पंजीकरण दिनांक 12–03–1969 को दर्ज न हो सका। प्रार्थिया अब जन्म दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत बारीं में दर्ज करवाना चाहती है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्रीमती सुरेशा देवी पुत्री विधि चंद, निवासी टीका झनिकर, डाकघर बराडा, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की जन्म तिथि 12–03–1969 को ग्राम पंचायत बारीं के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 09–12–2025 तक असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी एवम् नायब तहसीलदार, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)

श्री प्यार चन्द पुत्र सन्त राम, निवासी टीका टिक्करी, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) .. प्रार्थी।

बनाम

आम जनता .. प्रतिवादी।

विषय.––दरख्वास्त जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

अतिरिक्त जिला रजिस्ट्रार जन्म एवं मृत्यु हमीरपुर के कार्यालय पत्र संख्या HFW-HMR (ST-B&D) Delayed 2024 / 2–25310, दिनांक 12–11–2025 अनुसार श्री प्यार चन्द पुत्र सन्त राम, निवासी टीका टिक्करी, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) का आवेदन समस्त रिकार्ड व शपथ–पत्र सहित इस कार्यालय में प्राप्त हुआ है, जिसमें उल्लेख है कि उसके भाई भूटू राम पुत्र संत राम की मृत्यु दिनांक 03–05–1994 को हुई है, परन्तु किसी कारणवश ग्राम पंचायत पंजोत के रिकार्ड में उक्त मृत्यु का पंजीकरण दिनांक 03–05–1994 को दर्ज न हो सका। प्रार्थी अब मृत्यु दिनांक उपरोक्त को ग्राम पंचायत पंजोत में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि श्री भूटू राम पुत्र सन्त राम, निवासी टीका टिक्करी, डाकघर समीरपुर, तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0प्र0) की मृत्यु तिथि 03–05–1994 को ग्राम पंचायत पंजोत के रिकॉर्ड में दर्ज करवाने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 09–12–2025 तक असालतन / वकालतन हाजिर न्यायालय होकर अपना उजर / एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेरे समायत न होगा।

आज दिनांक 17–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी एवं तहसीलदार,
तहसील बमसन स्थित टौणी देवी, जिला हमीरपुर (हि0 प्र0)।

––––––––––

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj, District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Satya Devi d/o Sh. Durga Dass, r/o Village Kalyal, P.O. Bahanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Satya Devi d/o Sh. Durga Dass, r/o Village Kalyal, P.O. Bahanwin, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth *i.e.* 01-07-1934 which could not be registered in the record of Gram Panchayat Bahanwin.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of birth of Satya Devi d/o Sh. Durga Dass of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 29-11-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Soma Devi w/o Sh. Julfi Ram, r/o Village Kohta, P.O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Soma Devi w/o Sh. Julfi Ram, r/o Village Kohta, P.O. Badehar, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of death *i.e.* 29-08-2024 of his grandson Shammi Kumar which could not be registered in record of Gram Panchayat Paplah.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of Death of Shammi Kumar s/o Sh. Uttam Chand may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 29-11-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-

Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

In the Court of Executive Magistrate (Tehsildar), Bhoranj,
District Hamirpur (H.P.)

In the matter of :

Urmila Devi d/o Sh. Lachhman Singh, r/o Village Malian, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public . .*Respondent.*

Application u/s 13(3) of Birth and Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth and Death Registration Rules, 2003.

Whereas, Urmila Devi d/o Sh. Lachhman Singh, r/o Village Malian, P.O. Tarkwari, Tehsil Bhoranj, District Hamirpur (H.P.) has moved an application before the undersigned under section 13(3) of Birth & Death Registration Act, 1969 and Section 9(3) of H.P. Birth & Death Registration Rules, 2003 alongwith affidavits and other relevant documents for entering date of birth *i.e.* 20-05-1961 could not be registered in the record of Gram Panchayat Bhoranj.

Now, therefore by this proclamation, the general public is hereby informed that any person having any objection(s) for the registration of delayed date of Birth of Urmila Devi d/o Sh. Lachhman Singh, of may submit their objections in writing or appear in person in this court on or before 29-11-2025 at 10.00 A.M., failing which no objection will be entertained after expiry of date.

Seal. Sd/-
Executive Magistrate,
Bhoranj, District Hamirpur (H.P.).

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 21 / 2025 आगामी पेशी : 06–12–2025

श्रीमती मथुरा देवी पुत्री श्री ऐलू राम, निवासी गांव शियाउगी, डॉ0 धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.––पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती मथुरा देवी पुत्री श्री ऐलू राम, निवासी गांव शियाउगी, डॉ0 धाउगी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 01–01–1977 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत धाउगी के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 01–01–1977 दर्ज करवाना चाहती है, प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है कि उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत धाउगी के जन्म परिवार रजिस्टर, भाग–I में दर्ज करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 06–12–2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत धाउगी, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 01–01–1977 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 06–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 23 / 2025 आगामी पेशी : 15–12–2025

श्री शेर सिंह पुत्र श्री दीप चन्द, निवासी गांव व डॉ0 मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)
प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.––पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्री शेर सिंह पुत्र श्री दीप चन्द, निवासी गांव व डॉ0 मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी पुत्री द्रोपती देवी की जन्म तिथि 04–02–2013 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गाड़ापारली के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थी अपनी पुत्री द्रोपती देवी की जन्म तिथि 04–02–2013 दर्ज करवाना चाहता है, प्रार्थी ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी पुत्री द्रोपती देवी की जन्म तिथि 04–02–2013 दर्ज करने बारे सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी की पुत्री द्रोपती देवी की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के जन्म परिवार रजिस्टर, भाग–I में दर्ज करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 15–12–2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गाड़ापारली, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थी की पुत्री द्रोपती देवी की जन्म तिथि 04–02–2013 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 14–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सैंज, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 22 / 2025 आगामी पेशी : 15–12–2025

श्रीमती नैणा देवी पुत्री श्री रेपती राम, निवासी गांव व डॉ0 मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ..... प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

विषय.––पंचायत रिकार्ड में जन्म तिथि दर्ज करने बारे।

श्रीमती नैणा देवी पुत्री श्री रेपती राम, निवासी गांव व डॉ0 मझाण, तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने इस अदालत में आवेदन पत्र पेश किया है कि उसकी जन्म तिथि 25–05–1983 है जोकि अज्ञानतावश ग्राम पंचायत गाड़ापारली के रिकार्ड में दर्ज नहीं हुई है। प्रार्थिया अपनी जन्म तिथि 25–05–1983 दर्ज करवाना चाहती है, प्रार्थिया ने इस अदालत से प्रार्थना की है उसकी जन्म तिथि दर्ज करने बारे सम्बन्धित पंचायत को लिखित आदेश पारित करने की कृपा करें।

अतः इस इश्तहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गाड़ापारली के जन्म परिवार रजिस्टर, भाग–I में दर्ज करने बारा कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन / वकालतन तारीख पेशी 15–12–2025 को सुबह 11.00 बजे हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। निर्धारित अवधि के पश्चात् कोई उजर व एतराज प्राप्त न होने पर प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम पंचायत गाड़ापारली, तहसील सैन्ज में उक्त प्रार्थिया की जन्म तिथि 25–05–1983 दर्ज करने के आदेश पारित किए जाएंगे।

आज दिनांक 14–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सैंज, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

––––––––––

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)

श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्री मेघ राज हाल पत्नी श्री मिने राम, निवासी गांव ढुंगरी, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

विषय.––प्रकाशन इश्तहार बाबत नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता

श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्री मेघ राज हाल पत्नी श्री मिने राम, निवासी गांव ढुंगरी, डा0 व तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0) ने मुहाल करजां, पटवार वृत्त वरशाई के राजस्व अभिलेख में अपना नाम दुरुस्त

करने बारे आवेदन किया है कि वरशाई राजस्व अभिलेख में मेरा नाम वीना देवी दर्ज है जोकि गलत है जबकि मेरा नाम मीना कुमारी है जोकि सही व दुरुस्त है जिस कारण आवेदिका अपना नाम मीना कुमारी मुहाल करजां, पटवार वृत्त वरशाई के राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाना चाहती है जिस बाबत आवेदिका के आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, ब्यान हल्फिया तथा रिपोर्ट पटवारी, पटवार वृत्त वरशाई तथा लिखित ब्यान आवेदिका से पाया गया कि आवेदिका का सही नाम मीना कुमारी है और उक्त नाम को वरशाई के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे सिफारिश की गई है।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति विशेष को श्रीमती मीना कुमारी पुत्री श्री मेघ राज हाल पत्नी श्री मिने राम के नाम दुरुस्ती वरशाई के राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे आपत्ति हो तो वह दिनांक 31–12–2025 को या इससे पूर्व अदालत हजा में अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। इसके उपरान्त कोई भी उजर / एतराज मान्य नहीं होगा तथा नियमानुसार वरशाई के राजस्व अभिलेख में सही नाम दर्ज कराने के आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 07–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हक्ताक्षरित / –
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील मनाली, जिला कुल्लू (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. Nishant Kumar, H.A.S. Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate, Kullu, District Kullu (H.P.)

1. Tanuj s/o Sh. Dharam Pal, r/o Ward No. 1, Village Chaklari, P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.) . .*Applicants*.

2. Mrs. Tanvi Gupta d/o Sh. Narender Mohan Gupta, Village & P.O. Haripur, Tehsil Manali, Distt. Kullu (H.P.).

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 15 of Special Marriage Act, 1954.

Tanuj and Tanvi Gupta have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under section 15 of Special Marriage Act, 1954 that they have solemnized their marriage on 17-10-2025 and they are living as husband and wife since then, hence their marriage may be registred under Act *ibid*.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 11-12-2025. The objection received after 11-12-2025 will not be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 12-11-2025 under my hand and seal of the court.

Seal. Sd/-

(NISHANT KUMAR, HAS),
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate,*
Kullu, District Kullu (H.P.).

ब अदालत श्री आदित्या गुलेरिया, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 80774 / 2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन तारीख पेशी : 24–12–2025

शीर्षक :

खेम सिंह

बनाम

कांता देवी आदि

नोटिस बनाम प्रतिवादीगण :

1. श्रीमती कांता देवी पत्नी बसाखू राम पुत्र छितरू, 2. श्रीमती प्रेमी देवी पुत्री स्वारी पुत्री सौणू, 3. श्रीमती लच्छमी देवी पुत्री स्वारी पुत्री सौणू, 4. श्रीमती पूर्णू देवी पुत्री स्वारी पुत्री सौणू, 5. श्रीमती कौश्लया देवी पुत्री स्वारी पुत्री साउणू समस्त निवासीगण मुहाल महादेव / 10, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी हि0प्र0 6. श्रीमती कौश्लया देवी पुत्री वुधी सिंह पुत्र संत राम, निवासी गांव छातडू, डाकघर कुम्मी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0 7. श्रीमती रिया पुत्री वुधी सिंह पुत्र संत राम व पत्नी कमलेश, निवासी गांव व डाकघर दयारगी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0।

उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि खाता / खतौनी 532 / 621 खसरा नम्बर कित्ता 15, रकबा तादादी 26–03–01, वीघा स्थित मुहाल महादेव / 10, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी

उपरोक्त तकसीम मुकद्दमा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादियों के सही पते उपलब्ध न होने के कारण साधारण तरीके से समन तामील कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः उपरोक्त प्रतिवादियों को इश्तहार / मुश्त्री मुनादी सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त तकसीम बारा उनका कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24–12–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –

(आदित्या गुलेरिया)
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

केस नं0 : 72 / एन0टी0 / 2025 तारीख पेशी : 15–12–2025

श्री रोशन लाल पुत्र श्री गद्दी राम, निवासी गांव तरोट, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी।

श्री रोशन लाल पुत्र स्व0 श्री गद्दी राम, निवासी गांव तरोट, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसका जन्म दिनांक 08–02–1974 को गांव तरोट, डाकघर कनैड, ग्राम पंचायत कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ था किन्तु किसी कारणवश जन्म तिथि का पंजीकरण ग्राम पंचायत कनैड के अभिलेख में दर्ज न हो सका। इसलिए जन्म तिथि के पंजीकरण बारे सम्बन्धित ग्राम पंचायत को आदेश पारित कर दिये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 15–12–2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 15–12–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थी श्री रोशन लाल पुत्र श्री गद्दी राम, निवासी गांव तरोट, डाकघर कनैड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) की जन्म तिथि 08–02–1974 का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत कनैड के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 14–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

———————

ब अदालत श्री आदित्या गुलेरिया, नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

मु0 नं0 : 80776 / 2025 किस्म मुकद्दमा : तकसीम हुकमन तारीख पेशी : 24–12–2025

शीर्षक :

खेम सिंह

बनाम

पंकेश कुमार आदि

नोटिस बनाम प्रतिवादीगण :

9. श्रीमती नेहा पुत्री राज कुमार पुत्र हाडू हाल पत्नी श्री विजय कुमार, गांव व डाकघर दयारगी, तहसील बल्ह, जिला मण्डी, हि0प्र0, 11. कांता देवी पुत्री हाडु हाल पत्नी अरविंद पुरी, गांव व डाकघर भरतगड़, तहसील रोपड़, जिला रूपनगर, पंजाब, 22. श्रीमती मीना कुमारी पुत्री लाल चंद हाल पत्नी सुरेश कुमार, गांव खतरवाड़ी, डाकघर अप्पर बैहली, तहसील सुन्दरनगर, 24. श्रीमती अनीता कुमारी पुत्री लाल चंद हाल पत्नी जितेन्द्र सिंह, गांव भौण, डाकघर कलौहड, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0, 29. श्रीमती सुशीला पुत्री दुर्गा पुत्र पदू, 30. तुलसी राम पुत्र भूरा पुत्र बसाखू, निवासीगण मुहाल महादेवी / 10, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 31. श्री बलदेव सिंह पुत्र चौधरी राम पुत्र हिरदू, निवासी जनीहन, तहसील सरकाघाट, 32. श्रीमती लता देवी पत्नी प्रकाश चंद पुत्र देवी सिंह, निवासी गांव महादेव / 10, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

उनवान मुकद्दमा : तकसीम भूमि खाता / खतौनी 553 / 621 खसरा नम्बर कित्ता 15, रकबा तादादी 26–03–01 बीघा स्थित मुहाल महादेव / 10, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0।

इश्तहार

उपरोक्त तकसीम मुकद्दमा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में विचाराधीन है। इसमें प्रतिवादियों के सही पते उपलब्ध न होने के कारण साधारण तरीके से समन तामील कर पाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। अतः उपरोक्त प्रतिवादियों को इश्तहार / मुश्त्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त तकसीम बारा उनका कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 24–12–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 14–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित / –
(आदित्या गुलेरिया)
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

केस नं0 : 71 / एन0टी0 / 2025 तारीख पेशी : 24–12–2025

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री तीर्थराज, निवासी गांव चैल चौक, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हि0प्र0 हाल निवासी क्वाटर नम्बर एस–1 / 371, बी0बी0एम0बी0 कॉलोनी सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

उनवान मुकद्दमा : जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के तहत जन्म तिथि के पंजीकरण हेतु।

इश्तहार / मुश्त्री मुनादी।

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री तीर्थराज, निवासी गांव चैल चौक, तहसील चच्योट, जिला मण्डी, हि0प्र0 हाल निवासी क्वाटर नम्बर एस–1 / 371, बी0बी0एम0बी0 कॉलोनी, सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस न्यायालय में प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर व्यक्त किया है कि उसके पुत्र अलोक का जन्म दिनांक 12–07–2021 को बी0बी0एम0बी0 कॉलोनी, एम0सी0 सुन्दरनगर, तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी, हि0प्र0 में हुआ है किन्तु किसी कारणवश जन्म तिथि का पंजीकरण एम0सी0 (नगर परिषद्) सुन्दरनगर के अभिलेख में दर्ज न हो सका है। इसलिए जन्म तिथि के पंजीकरण करने के आदेश पारित कर दिये जाएं।

यह प्रकरण सुनवाई हेतु दिनांक 24–12–2025 को मुकाम सुन्दरनगर में निश्चित है। अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्त्री / मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति या पक्ष को इस जन्म पंजीकरण बारे कोई आपत्ति या एतराज हो तो वह दिनांक 24–12–2025 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। गैर–हाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी तथा प्रार्थीया के पुत्र अलोक की जन्म तिथि 12–07–2021 का पंजीकरण, जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 की धारा 13(3) के अन्तर्गत एम0सी0 (नगर परिषद्) सुन्दरनगर के अभिलेख में दर्ज करने के आदेश प्रदान कर दिये जाएंगे।

आज दिनांक 10–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील सुन्दरनगर, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री प्रिंस धिमान, सहायक समाहर्ता प्रथम वर्ग, सदर, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

मिसल नं0 : 66 / 2025 तारीख मजरूआ : 01–10–2025 तारीख पेशी : 24–12–2025

अम्बकू पत्नी स्व0 श्री भुरू राम, निवासी मकान नं0 259 / 9, पैलेस कॉलौनी नगर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0)

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र जेर धारा 37 ता 40 भू–राजस्व अधिनियम, 1957 के अन्तर्गत मुहाल जोला / 353 के राजस्व रिकार्ड में नाम दुरुस्ती बारे।

अम्बकू पत्नी स्व0 श्री भुरू राम, निवासी मकान नं0 259 / 9, पैलेस कॉलौनी नगर मण्डी, तहसील सदर, जिला मण्डी (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना–पत्र दायर किया है कि प्रार्थिया का नाम राजस्व रिकार्ड में अंकू देवी है जबकि आधार कार्ड मे नाम अम्बकू व बैंक खाते में अम्बिका देवी है। जिसे मुहाल सैण के राजस्व रिकार्ड में अंकू देवी उपनाम अम्बकू उपनाम अम्बिका दुरुस्त किए जाने बारे आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण को इस इश्तहार मुश्त्री मुनादी के माध्यम से सूचित किया जाता है कि यदि प्रार्थिया का नाम राजस्व मुहाल सैण के रिकार्ड में अंकू देवी उपनाम अम्बकू उपनाम अम्बिका दुरुस्त करने बारे किसी को कोई उजर / एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अपना एतराज इस न्यायालय में दिनांक

24–12–2025 को प्रातः 10.00 बजे तक या इससे पूर्व उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकते हैं। निश्चित अवधि के दौरान कोई भी उजर / एतराज न आने की सूरत में आम जनता के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी तथा उक्त नाम की दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 24–11–2025 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील मण्डी, जिला मण्डी (हि0प्र0)।

————————

ब अदालत श्री प्रेम सिंह, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)

मुकद्दमा संख्या : 111 / 2025 तारीख मरजुआ : 22–08–2025 अगली सुनवाई : 10–12–2025

1. श्री सैन राम पुत्र सागर दास, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) .. वादी।

बनाम

1. श्री अजय पुत्र कुम्भ दास पुत्र श्री कालु, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 2. श्रीमती किरनवाला पुत्री श्री कुम्भ दास पुत्र श्री कालु, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 3. श्री रोशन लाल पुत्र श्री कालु, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 4. हिमा पुत्री श्री कालु, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 5. श्रीमती सुख दासी विधवा श्री कालु, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 6. श्रीमती नैनकली पुत्री मिडकू हालाबाद पत्नी श्री भजन दास, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 7. स्व0 श्री गुरदास पुत्र श्रीमती संतकली पुत्री श्रीमती बालमू, गांव मकडोला, डाकघर झाकड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0 के जायज वारसान : (क) श्रीमती नंती कुमारी विधवा स्व0 श्री गुरदास, (ख) कुमारी देवीका पुत्री स्व0 श्री गुरदास, (ग) कुमारी सृष्टी पुत्री स0 श्री गुरदास, (घ) श्री आशीश पुत्र स्व0 श्री गुरदास, 8. श्रीमती कमला पुत्री श्रीमती संतकली पुत्र श्रीमती बालमू, गांव मकडोला, डाकघर झाकड़ी, तहसील रामपुर, जिला शिमला, हि0प्र0, 9. श्री बालक राम पुत्र मधुसुदन, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 10. श्री मदू पुत्र श्री घुन्धा, निवासी रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 11. श्री राम दास पुत्र तोतू, निवासी रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 12. श्री आगर दास पुत्र तोतू, निवासी रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 13. श्री संत लाल पुत्र पोशू, निवासी रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 14. श्री लैंती पुत्री जटू, निवासी नानण, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0, 15. श्री टाशी राम पुत्र छांगनरग, निवासी गांव घराट, डाकघर बौण्डा, जिला शिमला, हि0प्र0, 16. श्री मंगत राम पुत्र श्री हरी नन्द, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, जिला शिमला, हि0प्र0 .. प्रतिवादीगण।

दरख्वास्त तकसीम अराजी खाता मुस्तरीका खाता / खतौनी नं0 187 / 564 ता 566, कित्ता 11, रकबा तादादी 00–27–14 है0 व खाता / खतौनी नं0 190 / 569 ता 572, कित्ता 12, रकबा 0–99–13 है0 वाका चक रांवी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्री सैन राम पुत्र सागर दास, निवासी गांव रांवी, डाकघर सराहन, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) ने अराजी खाता / खतौनी नं0 187 / 564 ता 566, कित्ता 11, रकबा तादादी 00–27–14 है0

व खाता / खतौनी नं0 190 / 569 ता 572, कित्ता 12, रकबा 0–99–13 है0 वाका चक रांवी, उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0) के तकसीम प्रकरण इस अदालत में बराए हुकमन तकसीम प्रस्तुत किए हैं जो इस अदालत मे विचाराधीन है। प्रतिवादी सं0 8 श्रीमती कमला पुत्री श्रीमती संतकली व प्रतिवादी सं0 7. स्व0 श्री गुरदास पुत्र श्रीमती संतकली के जायज वारसानों की तामील बार–बार समन जारी करने के उपरान्त भी असालतन नहीं हो पा रही है, जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। उपरोक्त प्रतिवादीगणों की तामील असालतन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चले आ रहे हैं।

अतः उपरोक्त प्रतिवादीगणों को इस इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 10–12–2025 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आवें। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि इस तकसीम बारे प्रतिवादीगण उपरोक्त को किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 19–11–2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित,
(प्रेम सिंह),
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
उप–तहसील सराहन, जिला शिमला (हि0प्र0)।

———————

In the Court of Sh. Ravider Singh Sisodiya, Executive Magistrate-cum**-Naib Tehsildar, Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)**

In the matter of :

1. Israr Ali s/o Fakiria, r/o Village Bhagani, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.)
. . *Applicant.*

Versus

General Public . . *Respondent.*

Subject.—Application for correction of name and date of birth of applicant's son in Aadhar Card of applicant's son.

Whereas, Israr Ali s/o Fakiria, r/o Village Bhagani, Tehsil Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.) has filed an application alongwith copy of his Aadhar Card, Pariwar Register and an affidavit in the court of the undersigned to correct his son's name as Mohammed Danish in place of Aahil and to correct his son's date of birth as 20-03-2014 in place of 02-02-2014 in his Aadhar Card.

Now, therefore, objections are invited from the general public that if anyone has any objection regarding change of name of applicant's son as Mohammed Danish in place of Aahil and his son's date of birth as 20-03-2014 in place of 02-02-2014 in his Aadhar Card then they should appear before the court of undersigned on or before 17-12-2025 either personally or through their authorized agent.

In the event of their failure to do so, it would be deemed that there are no objections and order shall be passed *ex-parte* without affording any further opportunity of being heard.

Issued under my hand and seal of the court on this 17-11-2025.

Seal. Sd/-
(RAVINDER SINGH SISODIYA),
Naib Tehsildar-cum-*Executive Magistrate*,
Paonta Sahib, District Sirmaur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Parmeshwar s/o Shri Duni Chand, Village Diswani, P.O. Kaloti, Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Thieya is wrongly mentioned as Kaki in her Aadhar Card No. 4598 1200 7969. Therefore it should be changed to Thieya in her Aadhar Card. Note the relevant information.

PARMESHWAR
s/o Shri Duni Chand,
Village Diswani, P.O. Kaloti,
Tehsil Chirgaon, Distt. Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Meena Devi w/o Shri Jagbir Singh, VPO Jharag, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Meenu Devi in my Aadhar Card No. 2600 0133 1572. Therefore it should be changed to Meena Devi. Note the relevant information.

MEENA DEVI
w/o Shri Jagbir Singh,
VPO Jharag, Tehsil Rohru,
Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Pratap Chand s/o Sh. Jesi Ram, r/o Village Chalokhar, P.O. Nareli, Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.) declare that I have changed my minor son's name from Harsh to Harshit for all purposes in future. Please note.

PRATAP CHAND
s/o Sh. Jesi Ram,
r/o Village Chalokhar, P.O. Nareli,
Tehsil & Distt. Hamirpur (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, No. 2703833N, Hav-Gagan Deep s/o Sh. Amin Chand, Unit-12 Grenadiers, r/o Village Tangri, P.O. Surajpur Bari, Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi-175024 (H.P.) declare that in my Army record my Mother's name is wrongly entered as Raj Kumari. Whereas her correct name is Rajo Devi. All concerned please note.

GAGAN DEEP
s/o Sh. Amin Chand, Unit-12 Grenadiers,
r/o Village Tangri, P.O. Surajpur Bari,
Tehsil Sarkaghat, Distt. Mandi-175024 (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Devender Singh s/o Sh. Sunder Singh declare that I have changed the name of my daughter from Vedanshi Negi (Old Name) to Vaidanshi Negi (New Name). In future she should be known as Vaidanshi Negi d/o Sh. Devender Singh, Village Bashwa, P.O. Bella, Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

VAIDANSHI NEGI
d/o Sh. Devender Singh,
Village Bashwa, P.O. Bella,
Tehsil Shillai, District Sirmaur (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Anjana w/o Sh. Sukh Dev, Village Sainji, P.O. Samoli, Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.) declare that my name is wrongly mentioned as Anjali Devi in my Aadhar Card No. 9934 5328 6646. Therefore it should be changed to Anjana in my Aadhar Card. Note the relevant information.

ANJANA
w/o Sh. Sukh Dev,
Village Sainji, P.O. Samoli,
Tehsil Rohru, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Begma Devi w/o Karam Chand, Village Farog, P.O. Pujarli No. 3, Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.) declare that name of my daughter Ranvi is wrongly mentioned as Isha in her Aadhar Card No. 5081 2879 2490. Therefore it should be changed to Ranvi in her Aadhar Card. Note the relevant information.

BEGMA DEVI
w/o Karam Chand,
Village Farog, P.O. Pujarli No. 3,
Tehsil Tikkar, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Mehmood Miyan s/o Sh. Chhote Miyan, r/o Chet Ram Bhavan near SC School Rajana (109), P.O. Rajhana, Shimla (H.P.) declare that I have changed my son's name from Saif (Old Name) to Mohammad Saif (New Name). All concerned please may note.

MEHMOOD MIYAN
s/o Sh. Chhote Miyan,
r/o Chet Ram Bhavan near SC School Rajana (109),
P.O. Rajhana, Shimla (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Reeta Devi w/o Aniya, r/o Village Sobal, P.O. Pabaan, Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.) declare that my son's correct name is Ankit as per Panchayat and School record. But in his Aadhar Card his name is wrongly entered as Ankti. Kindly correct his name in his Aadhar Card as Ankit. Please note.

REETA DEVI
w/o Aniya,
r/o Village Sobal, P.O. Pabaan,
Tehsil Nerwa, Distt. Shimla (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Vishal Dhiman s/o Sh. Achhar Chand Dhiman, r/o VPO Kangar, Tehsil Haroli, District Una (H.P.) declare that I have changed my son's name from Dhanvin Dhiman to Dhairya Dhiman. All concerned note.

VISHAL DHIMAN
s/o Sh. Achhar Chand Dhiman,
r/o VPO Kangar, Tehsil Haroli,
District Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Hem Chand s/o Nand Lal, Village Narola, P.O. Narola, Tehsil Baldwara, Distt Mandi (H.P.) declare that in my minor son's Aadhar No. 4122 0512 0662 his name Kavya Verma is wrongly entered, whereas correct name is Kavyansh Verma.

HEM CHAND
s/o Nand Lal,
Village Narola, P.O. Narola,
Tehsil Baldwara, Distt Mandi (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Manoj Kumar Yadav s/o Kantu Ram, r/o Village Jari, Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.) declare that my daughter's name is wrongly entered as Srijana Kumari Yadav in Aadhar Card. How I intend to correct my daughter's name as Srijana Yadav in her Aadhar Card. Concerned note it.

MANOJ KUMAR YADAV
s/o Kantu Ram,
r/o Village Jari,
Sub-Tehsil Jari, Distt. Kullu (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Manisha w/o Late Sh. Bikku Singh, r/o Village Kundi, P.O. Singadhar, Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.)-176320 declare that I have changed my minor son's name from Githak Bhardwaj to Gitik Bhardwaj for all purposes in future. All concerned please note.

MANISHA
w/o Late Sh. Bikku Singh,
r/o Village Kundi, P.O. Singadhar,
Tehsil Salooni, Distt. Chamba (H.P.)-176320.

CORRECTION OF NAME

I, Chihro Devi w/o Late Sh. Dumsa Ram, r/o Village Garola, Tehsil Holi, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 9821 4517 6362 my name is wrongly entered as Napalo Devi. Whereas my correct name is Chihro Devi. I shall be known as Chihro Devi for all purposes in future. Please note.

CHIHRO DEVI
w/o Late Sh. Dumsa Ram,
r/o Village Garola, Tehsil Holi,
Distt. Chamba (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Asho Devi w/o Late Sh. Makholi Ram, r/o Village Kuthed, P.O. Piura, Sub-Tehsil Dharwala, Distt. Chamba (H.P.) declare that in my Aadhar Card bearing number 5278 0928 3243 my name is wrongly entered as Aasha Devi. Whereas my correct name is Asho Devi. I shall be known as Asho Devi for all purposes in future. Please note.

ASHO DEVI
w/o Late Sh. Makholi Ram,
r/o Village Kuthed, P.O. Piura,
Sub-Tehsil Dharwala, Distt. Chamba (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Surabhi w/o Sh. Gunjan Sharma, r/o House No. 126/2, Purani Mandi, Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.)-175001 declare that I want to change my name from Surabhi Sharma to Surabhi in my Aadhar No. 2203 0466 7621. All concerned please note.

SURABHI
w/o Sh. Gunjan Sharma,
r/o House No. 126/2, Purani Mandi,
Tehsil Sadar, Distt. Mandi (H.P.)-175001.

CORRECTION OF NAME

I, No. 049801K, Ex CPO (SPTI) Om Prakash Singh s/o Late Durga Dass, r/o H. No. 19, Civil Lines Dharamshala, P.O. & Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in my Naval service record is wrongly entered as Om Prakash. Whereas my correct name is Om Prakash Singh.

OM PRAKASH SINGH
s/o Late Durga Dass,
r/o H. No. 19, Civil Lines Dharamshala,
P.O. & Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Veena Devi w/o Sh. Om Parkash, r/o Village Sanjhot, P.O. Dhamandri, Tehsil & District Una (H.P.) declare that in the 10th class CBSE School Certificate of my daughter Pooja Singh, my name is wrongly written as Veena instead of Veena Devi. So Kindly correct it.

VEENA DEVI
w/o Sh. Om Parkash,
r/o Village Sanjhot, P.O. Dhamandri,
Tehsil & District Una (H.P.).

CORRECTION OF NAME

I, Madan s/o Sh. Ramlok, r/o Village Bhawara, P.O. Dhaliara, Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.) declare that I want to include my surname in my all documents from Madan to Madan Kumar. Concerned please note.

MADAN
s/o Sh. Ramlok,
r/o Village Bhawara, P.O. Dhaliara,
Tehsil Dehra, Distt. Kangra (H.P.).

CHANGE OF NAME

I, Rajni Azad w/o Sh. Ishant, r/o Village Jarad Bhutti Colony, P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter, District Kullu (H.P.)-175126 declare that I have changed my name form "Khim Dassi" to "Rajni Azad". In future I must be known as "Rajni Azad". Concerned note it.

RAJNI AZAD
w/o Sh. Ishant,
r/o Village Jarad Bhutti Colony,
P.O. Shamshi, Tehsil Bhunter,
District Kullu (H.P.)-175126.

CORRECTION OF NAME

I, Kumari Sanjeevana w/o Sh. Narender Singh, r/o Village Karyara Nichla, P.O. Karyara, Tehsil Dehra Gopipur, Distt. Kangra (H.P.) declare that my name in my daughter Muskan's 10th certificate is wrongly entered as Kumari Sanjeevna. Whereas my correct name is Kumari Sanjeevana.

KUMARI SANJEEVANA
w/o Sh. Narender Singh,
r/o Village Karyara Nichla, P.O. Karyara,
Tehsil Dehra Gopipur, Distt. Kangra (H.P.).

विधि विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 27 नवम्बर, 2025

संख्याः एल.एल.आर.–डी.(6)–16 / 2025–लेज.––हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 200 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) विधेयक, 2025 (2025 का विधेयक संख्यांक 13) को दिनांक 26–11–2025 को अनुमोदित कर दिया है तथा अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन, विधेयक के अंग्रेजी पाठ को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित करने के लिए प्राधिकृत कर दिया है। अतः उपरोक्त विधेयक को वर्ष 2025 के अधिनियम संख्यांक 45 के रूप में अंग्रेजी प्राधिकृत पाठ सहित राजपत्र (ई–गजट) हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किया जाता है।

आदेश द्वारा,

हस्ताक्षरित / –
(डॉ0 विवेक ज्योति),
संयुक्त विधि परामर्शी एवं संयुक्त सचिव (विधि)।

2025 का अधिनियम संख्यांक 45

हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2025

धाराओं का क्रम

धारा :

2025 का अधिनियम संख्यांक 45

हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2025

(माननीय राज्यपाल महोदय द्वारा तारीख 26 नवम्बर, 2025 को यथाअनुमोदित)

लोक परीक्षाओं में अनुचित साधनों के निवारण और उनसे संबंधित तथा उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए **अधिनियम**।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः–

अध्याय–1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2025 है।

(2) यह ऐसी तारीख को प्रवृत्त होगा, जो राज्य सरकार, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

2. **परिभाषाएं.––**(1) इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(क) ''अभ्यर्थी'' से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे लोक परीक्षा में उपस्थित होने हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा अनुमति प्रदान की गई है और इसके अन्तर्गत लोक परीक्षा में उसकी ओर से लेखक के रूप में कार्य करने के लिए कोई प्राधिकृत व्यक्ति भी सम्मिलित है;

(ख) ''संचार युक्ति'' का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ज क) में इसके लिए समनुदेशित है।

(ग) ''सक्षम प्राधिकरण'' से राज्य सरकार का ऐसा विभाग अभिप्रेत है जो लोक परीक्षा के साथ प्रशासनिक रूप से संबद्ध है;

(घ) ''कम्प्यूटर नेटवर्क'', ''कम्प्यूटर संसाधन'' और ''कम्प्यूटर प्रणाली'' का वही अर्थ होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ञ), खंड (ट) और खंड (ठ) में क्रमशः इनको समनुदेशित है;

(ङ) ''लोक परीक्षा का संचालन'' के अंतर्गत लोक परीक्षा का संचालन करने हेतु अपनाई जाने वाली सभी प्रक्रियाएं, आदेशिकाएं और क्रियाकलाप, जो विहित किए जाएं, सम्मिलित होंगे;

(च) ''संस्थान'' से लोक परीक्षा प्राधिकरण और ऐसे प्राधिकरण द्वारा नियुक्त सेवा प्रदाता से भिन्न कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, अभिप्रेत है;

स्पष्टीकरण.–इस खंड के प्रयोजनों के लिए, यह स्पष्ट किया जाता है कि "कंपनी" के अंतर्गत कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 2 के खंड (20) में यथा परिभाषित कोई कंपनी; या सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 2 की उप–धारा (1) के खंड (ढ) में यथा परिभाषित कोई सीमित दायित्व भागीदारी फर्म भी सम्मिलित है;

(छ) "अधिसूचना" से, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना अभिप्रेत है और "अधिसूचना" पद का अर्थ तद्नुसार लगाया जाएगा;

(ज) "संगठित अपराध" से ऐसी विधि विरुद्ध गतिविधि अभिप्रेत है जो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा किसी लोक परीक्षा के संबंध में अनुचित साधनों में संलिप्त होकर मिलीभगत और षड्यंत्र के अनुसरण में या सदोष अभिलाभ हेतु सांझे हित को बढ़ाने के लिए कारित की जाए;

(झ) "सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे सेवा प्रदाता के लिए या उसकी ओर से सेवा प्रदान करे चाहे ऐसा व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसे सेवा प्रदाता का कोई कर्मचारी या अभिकर्ता या सहायक है;

(ञ) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ट) "लोक परीक्षा" से लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा संचालित कोई परीक्षा अभिप्रेत है;

(ठ) "लोक परीक्षा प्राधिकरण" से अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट कोई प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(ड) "लोक परीक्षा केन्द्र" से ऐसे परिसर अभिप्रेत हैं, जिनका लोक परीक्षा संचालित कराने के लिए उपयोग किए जाने हेतु सेवा प्रदाता द्वारा या अन्यथा, लोक सेवा प्रधिकरण द्वारा चयन किया जाता है और जिसके अंतर्गत अन्य के साथ कोई विद्यालय, कम्प्यूटर केन्द्र, संस्था, कोई भवन या उसका कोई भाग, भी सम्मिलित है और इसके अंतर्गत उसकी संपूर्ण परिधि तथा उससे संलग्न भूमि भी सम्मिलित है जिनका प्रयोग लोक परीक्षा के संचालन हेतु सुरक्षा और अन्य संबंधित कारणों हेतु किया जा सके;

(ढ) "सेवा प्रदाता" से कोई अभिकरण, संगठन, निकाय, व्यक्तियों का संघ, व्यावसायिक इकाई, कंपनी, भागीदारी या एकल स्वामित्व फर्म, अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत किसी कम्प्यूटर संसाधन या किसी सामग्री चाहे किसी भी नाम से ज्ञात हो, की सहायता प्रदान करने हेतु इसके सहयुक्त, उप–ठेकेदार भी सम्मिलित हैं जो लोक परीक्षा के संचालन हेतु लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा नियोजित किए गए हैं; और

(ण) ''अनुसूची'' से इस अधिनियम से संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है।

(2) उन शब्दों और पदों के जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन परिभाषित हैं के वही अर्थ होंगे जो उन विधियों में क्रमशः उनके हैं।

अध्याय–2
अनुचित साधन और अपराध

3. अनुचित साधन.––लोक परीक्षा के संचालन से संबंधित अनुचित साधनों में किसी भी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थानों द्वारा किया गया या कराया जाने वाला कोई कृत्य या लोप सम्मिलित होगा और जिसमें धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए निम्नलिखित कृत्यों में से कोई कृत्य सम्मिलित होगा परंतु केवल इन्हीं तक प्रतिबंधित नहीं होगा–

(i) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी या उसके किसी भाग को प्रकट करना;
(ii) प्रश्नपत्र या उत्तर कुंजी को प्रकट करवाने के लिए दूसरों के साथ भागीदारी करना;
(iii) प्राधिकार के बिना प्रश्नपत्र या ऑप्टिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीट तक पहुंचना या उसे अपने कब्जे में लेना;

(iv) किसी लोक परीक्षा के दौरान किसी अनधिकृत व्यक्ति द्वारा एक या अधिक प्रश्नों का हल प्रदान करना;

(v) लोक परीक्षा में किसी भी अनधिकृत रीति से अभ्यर्थी की प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सहायता करना;

(vi) उत्तर पुस्तिकाओं के साथ छेड़–छाड़ करना जिसमें ऑपटिकल मार्क रिकग्निशन रिस्पांस शीटें भी हैं;

(vii) किसी वास्तविक त्रुटि को सुधारने के सिवाय, बिना किसी प्राधिकार के मूल्यांकन में परिवर्तन करना;

(viii) लोक परीक्षा को स्वयं या अपने अभिकरण के माध्यम से संचालित कराने के लिए राज्य सरकार द्वारा स्थापित मानदंडों या मानकों का जानबूझकर उल्लंघन करना;

(ix) किसी लोक परीक्षा में अभ्यर्थी का लघु सूचीयन करने या किसी अभ्यर्थी की मेरिट या रैंक को अंतिम रूप दिए जाने के लिए किसी आवश्यक दस्तावेज के साथ छेड़–छाड़ करना;

(x) किसी लोक परीक्षा के संचालन में अनुचित साधनों को सुकर बनाने के लिए सुरक्षा उपायों का जानबूझकर उल्लंघन करना;

(xi) कम्प्यूटर नेटवर्क या किसी कम्प्यूटर संसाधन या कम्प्यूटर प्रणाली के साथ छेड़–छाड़ करना;

(xii) परीक्षा में अनुचित साधनों को अंगीकार करने को सुकर बनाने के लिए अभ्यर्थियों के बैठने की व्यवस्था, तारीखों और पालियों के आबंटन में हेर–फेर करना;

(xiii) लोक परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या सरकार के किसी प्राधिकृत अभिकरण से संबद्ध व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता को खतरे में डालने के सदोष परिरोध करना या लोक परीक्षा के संचालन में बाधा डालना;

(xiv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली वेबसाइट बनाना; और

(xv) धोखा देने या धनीय लाभ के लिए जाली परीक्षा संचालित करना, जाली प्रवेश पत्र या प्रस्ताव पत्र जारी करना।

4. अनुचित साधन के लिए षड्यंत्रं.––कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह या संस्थाएं, ऐसे किन्हीं भी अनुचित साधनों में संलिप्तता को बढ़ावा देने के लिए मिलीभगत या षड़यंत्र नहीं करेंगी।

5. लोक परीक्षा आयोजित करने में व्यवधान.––(1) ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसे लोक परीक्षा से संबंधित कोई कार्य या लोक परीक्षा को संचालित करवाने का कोई कार्य नहीं सौंपा गया है या उसमें नहीं लगाया गया है और जो अभ्यर्थी नहीं है, वह लोक परीक्षा के संचालन में व्यवधान डालने के आशय से परीक्षा केंद्र के परिसर में प्रवेश नहीं करेगा।

(2) लोक परीक्षा संचालित करवाने में अपने कर्त्तव्यों के आधार पर प्राधिकृत, लगा हुआ या न्यस्त कोई व्यक्ति, प्रश्नपत्रों को खोलने और वितरित करने के लिए नियत समय से पूर्व–

(क) धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए अनधिकृत रीति में प्रश्नपत्रों को नहीं खोलेगा, लीक नहीं करेगा या अपने पास नहीं रखेगा या पहुंच नहीं बनाएगा या हल नहीं करेगा या ऐसे प्रश्नपत्र या इसके किसी भाग या इसकी प्रति को हल करने में किसी की सहायता नहीं लेगा;

(ख) किसी व्यक्ति को कोई गोपनीय सूचना नहीं देगा या ऐसी गोपनीय सूचना देने का वचन नहीं देगा, जहां ऐसी सूचना धनीय या सदोष अभिलाभ के लिए प्रश्नपत्र से संबंधित या संदर्भ में हो।

(3) कोई भी व्यक्ति, जो लोक परीक्षा से संबंधित कार्य में न्यस्त हो या लगाया गया हो, सिवाय जहां उसे अपने कर्त्तव्यों के आधार पर ऐसा करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, ऐसी किसी भी सूचना या उसके

किसी भाग, जो उसे इस प्रकार सौंपे जा रहे कार्य के नाते उसकी जानकारी में आई है, को अनुचित लाभ या सदोष अभिलाभ के लिए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष न तो प्रकट करेगा, न ही प्रकट करना कारित करेगा और न ही इसका पता लगने देगा।

6. **अन्य अपराध.**––यदि कोई व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह या संस्था धारा 3, धारा 4 और धारा 5 के अधीन किन्हीं अनुचित साधनों का प्रयोग करता है या अपराध करता है, तो सेवा प्रदाता तत्काल अपराध की रिपोर्ट संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को करेगा तथा लोक परीक्षा प्राधिकरण को भी सूचित करेगाः

परंतु यह कि यदि सेवा प्रदाता अनुचित साधनों का सहारा लेता है और अपराध करता है या अपराध सुकर बनाने में संलिप्त होता है, तो लोक परीक्षा प्राधिकरण संबद्ध पुलिस प्राधिकारियों को भी उसकी रिपोर्ट करेगा।

7. **परीक्षा केन्द्र से अन्यथा किसी अन्य परिसर का उपयोग लोक परीक्षा के लिए नहीं किया जाएगा.**––लोक परीक्षा प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत परीक्षा केन्द्र से अन्यथा लोक परीक्षा प्राधिकरण के लिखित अनुमोदन के बिना लोक परीक्षा आयोजित करने के प्रयोजन के लिए वैकल्पिक रूप से किसी अन्य परिसर का प्रयोग कारित करना, सेवा प्रदाता या सेवा प्रदाता से सहबद्ध किसी अन्य व्यक्ति के लिए अपराध होगाः

परंतु यह कि इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात अपराध नहीं होगी, जहां किसी अनिवार्य बाध्यता के कारण लोक परीक्षा प्राधिकरण की पूर्व सहमति के बिना परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन किया जाता है।

8. **सेवा प्रदाताओं और अन्य व्यक्तियों के संबंध में अपराध.**––(1) किसी व्यक्ति के संबंध में, जिसके अंतर्गत किसी सेवा प्रदाता से सहबद्ध व्यक्ति भी है, के संबंध में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है यदि वह व्यष्टिक रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ या व्यक्तियों के समूह के साथ या संस्थाओं के साथ मिलकर किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह या संस्थाओं की किसी लोक परीक्षा के संचालन में किसी अप्राधिकृत रीति में सहायता करता है।

(2) सेवा प्रदाता या उसके साथ सहबद्ध किसी व्यक्ति के विषय में यह माना जाएगा कि उसने कोई अपराध किया है, यदि वह किसी अनुचित साधन या किसी अपराध के करने की घटना की रिपोर्ट करने में असफल रहता है,

(3) जब कोई अपराध किसी सेवा प्रदाता द्वारा किया जाता है और किसी अन्वेषण के दौरान प्रथमदृष्टया यह साबित कर दिया जाता है कि वह किसी निदेशक, प्रबंधक, सचिव या ऐसे सेवा प्रदाता के अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता के साथ किया गया है, तो ऐसा व्यक्ति भी उसके विरुद्ध कार्यवाही किए जाने का दायी होगाः

परंतु यह कि इस उप–धारा में अन्तर्विष्ट कोई भी बात, किसी ऐसे व्यक्ति को इस अधिनियम के अधीन किसी दंड का भागी नहीं बनाएगी, यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था और उसने ऐसे अपराध का निवारण करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

अध्याय–3

अपराधों के लिए दंड

9. **संज्ञेय अपराध.**––इस अधिनियम के अधीन सभी अपराध संज्ञेय, अजमानती और अशमनीय होंगे।

10. **इस अधिनियम के अधीन अपराध के लिए दण्ड.**––(1) इस अधिनियम के अधीन अनुचित साधनों और अपराधों में संलिप्त व्यक्ति ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो पांच वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माने से, जो दस लाख रुपये तक का हो सकेगा, से दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(2) सेवा प्रदाता एक करोड़ रुपये तक के जुर्माने के अधिरोपण से भी दंडनीय होगा और परीक्षा की समानुपातिक लागत को भी ऐसे सेवा प्रदाता से वसूल किया जाएगा और वह कोई लोक परीक्षा संचालित करने के लिए किसी उत्तरदायित्व के सौंपे जाने पर चार वर्ष की अवधि के लिए रोक दिया जाएगा।

(3) जहां अन्वेषण के दौरान यह साबित कर दिया जाता है कि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध सेवा प्रदाता फर्म के किसी निदेशक, ज्येष्ठ प्रबंधन या उसके भारसाधक व्यक्तियों की सहमति या मौनानुकूलता से कारित किया गया है, वह ऐसे कारावास से जिसकी अवधि तीन वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और एक करोड़ रुपये के जुर्माने का भी दायी होगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबन्धों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(4) इस धारा में अंतर्विष्ट कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को अधिनियम के अधीन किसी दंड का दायी नहीं ठहराएगी यदि वह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना कारित किया गया था और उसने ऐसे अपराध को कारित होने से निवारित करने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

11. संगठित अपराध.––(1) यदि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह जिसके अंतर्गत परीक्षा प्राधिकरण या सेवा प्रदाता या कोई अन्य संस्था भी है, कोई संगठित अपराध कारित करता है तो वह ऐसे कारावास से, जिसकी अवधि पांच वर्ष से कम नहीं होगी किंतु जो दस वर्ष तक की हो सकेगी और जुर्माना, जो एक करोड़ रुपये से कम नहीं होगा, दंडित किया जाएगा। जुर्माने के संदाय में व्यतिक्रम की दशा में कारावास की अतिरिक्त अवधि भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के उपबंधों के अनुसार अधिरोपित की जाएगी।

(2) यदि संस्था किसी संगठित अपराध को कारित करने में अंतर्वलित पाई जाती है तो उसकी संपत्ति कुर्की और समपहरण के अध्यधीन होगी और इसके अतिरिक्त, परीक्षा की समानुपातिक लागत भी उससे वसूल की जाएगी।

अध्याय–4

जांच और अन्वेषण

12. जांच करने के लिए सशक्त अधिकारी.––(1) इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अन्वेषण, कोई अधिकारी, जो पुलिस उप–अधीक्षक की पंक्ति से नीचे का न हो, करेगा।

(2) उप–धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार को किसी अन्वेषण अभिकरण अन्वेषण को निर्दिष्ट करने की शक्तियां होंगी।

अध्याय–5

प्रकीर्ण

13. लोक परीक्षा प्राधिकरण के सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों का लोक सेवक होना.––लोक परीक्षा प्राधिकरण का अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और अन्य कर्मचारी जब वह इस अधिनियम के किसी भी उपबन्ध के अनुसरण में कार्य कर रहे हैं या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हैं, को भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का 45) के अन्तर्गत लोक सेवक समझा जाएगा।

14. किसी लोक सेवक द्वारा सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.––इस अधिनियम के किसी उपबंध के अनुसरण में अपने आधिकारिक कार्यों के निर्वहन में सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए कोई वाद या अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी लोक सेवक के विरुद्ध नहीं होगी:

परंतु यह कि किसी लोक परीक्षा प्राधिकरण की सेवा में लोक सेवक ऐसी लोक परीक्षा प्राधिकरण के सेवा नियमों के निबंधनों में प्राशसनिक कार्रवाई के अधीन होंगे:

परंतु यह और कि, कोई भी बात ऐसे लोक सेवकों के विरुद्ध कार्यवाही करने से निवारित नहीं करेगी जहां प्रथमदृष्ट्या इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कारित करने का मामला विद्यमान होता है।

15. इस अधिनियम के उपबंधों का अन्य विधियों के अतिरिक्त होना.––इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबन्ध के अतिरिक्त होंगे, न कि उसके अल्पीकरण में:

परंतु, इस अधिनियम के उपबंधों का तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या किसी लिखत जिसका विधि का बल होने के नाते प्रभाव है, में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी प्रभाव होगा।

16. अनुसूची में संशोधन करने की शक्ति.––राज्य सरकार राजपत्र (ई–गज़ट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, अनुसूची को संशोधित कर सकेगी या अनुसूची की प्रविष्टियों में परिवर्तन कर सकेगी।

17. नियम बनाने की शक्ति.––(1) राज्य सरकार इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों के लिए उपबन्ध कर सकेंगे; अर्थात्:–

(क) लोक परीक्षा का संचालन करने के लिए अंगीकृत किए जाने के लिए प्रक्रियाएं, प्रोसेसज, कार्यकलाप अधिकथित करना; और

(ख) कोई अन्य विषय, जो विहित किया गया है या विहित किया जाए।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, विधान सभा के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल दस दिन की अवधि के लिए रखा जाएगा। यह अवधि एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकेगी और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के सत्रावसान के पूर्व विधान सभा उस नियम में कोई परिवर्तन करती है या विनिश्चय करती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसे नियम ऐसे उपान्तरित रूप में ही, यथास्थिति प्रभावी होंगे या निष्प्रभाव हो जाएंगे। तथापि नियम के ऐसे किसी उपान्तरण या वातिलीकरण होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

18. कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.––(1) यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार राजपत्र (ई–गजट), हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध कर सकेगी जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हो, जो उस कठिनाई को दूर करने के लिए उसे आवश्यक या समाचीन प्रतीत हो:

परंतु यह कि इस अधिनियम के प्रारम्भ होने के दो वर्ष के अवसान के पश्चात् इस धारा के अधीन कोई ऐसा आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान सभा के समक्ष रखा जाएगा।

अनुसूची
[धारा–2 (ठ) को देखें]

निम्नलिखित द्वारा संचालित कोई परीक्षा:–

1. हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग, शिमला।
2. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग, हमीरपुर।

AUTHORITATIVE ENGLISH TEXT

Act No. 45 of 2025

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) ACT, 2025

ARRANGEMENTS OF SECTIONS

Sections :

Act No. 45 of 2025.

THE HIMACHAL PRADESH PUBLIC EXAMINATIONS (PREVENTION OF UNFAIR MEANS) Act, 2025

(AS ASSENTED TO BY THE GOVERNOR ON 26TH NOVEMBER, 2025)

AN

ACT

to prevent unfair means in the public examinations and to provide for matters connected therewith or incidental thereto.

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Seventy-sixth Year of the Republic of India as follows:—

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title and commencement.—(1) This Act may be called the Himachal Pradesh Public Examinations (Prevention of Unfair Means) Act, 2025.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, appoint.

2. Definitions.—(1) In this Act, unless the context otherwise requires,-

(a) "candidate" means a person who has been granted permission by the public examination authority to appear in public examination and includes a person authorised to act as a scribe on his behalf in the public examination;

(b) "communication device" shall have the same meaning assigned to it in clause (ha) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(c) "competent authority" means the Department of the State Government administratively concerned with the public examination;

(d) "computer network", "computer resource" and "computer system" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (j), (k) and (l) of sub-section (1) of section 2 of the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000);

(e) "conduct of public examination" shall include all the procedures, processes and activities, as may be prescribed, for being adopted for conduct of the public examination;

(f) "institution" means any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, by whatever name it may be called, which is other than the public examination authority and the service provider engaged by such authority;

Explanation.—For the purposes of this clause, it is clarified that "company" includes a company as defined in clause (20) of section 2 of the Companies Act,

2013 (18 of 2013); or a limited liability partnership firm as defined in clause (n) of sub-section (1) of section 2 of the Limited Liability Partnership Act, 2008 (6 of 2009);

(g) "notification" means a notification published in the Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh and the expression "notify" shall be construed accordingly;

(h) "organised crime" means an unlawful activity committed by a person or a group of persons indulging in unfair means in collusion and conspiracy to pursue or promote a shared interest for wrongful gain in respect of a public examination;

(i) "person associated with a service provider" means a person who performs services for or on behalf of such service provider irrespective of whether such person is an employee or an agent or a subsidiary of such service provider, as the case may be;

(j) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;

(k) "public examination" means any examination conducted by the public examination authority;

(l) "public examination authority" means an authority as specified in THE SCHEDULE;

(m) "public examination centre" means such premises, which is selected by the service provider or otherwise selected by the public examination authority, to be used for conduct of public examination and which, amongst others, may include any school, computer centre, institution, any building or part thereof and the same shall include the entire periphery and land appurtenant thereto which may be used for security and other related reasons for conduct of the public examinations;

(n) "service provider" means any agency, organisation, body, association of persons, business entity, company, partnership or single proprietorship firm, including its associates, sub-contractors and provider of support of any computer resource or any material, by whatever name it may be called, which is engaged by the public examination authority for conduct of public examination; and

(o) "SCHEDULE" meaning THE SCHEDULE appended to this Act.

(2) Words and expressions used herein but not defined and defined under any other law for the time being in force, shall have the same meanings as assigned to them in those laws.

CHAPTER II

UNFAIR MEANS AND OFFENCES

3. Unfair means.—The unfair means relating to the conduct of a public examination shall include any act or omission done or caused to be done by any person or group of persons or institutions, and include but not be restricted to, any of the following acts for monetary or wrongful gain—

(i) leakage of question paper or answer key or part thereof;

(ii) participating in collusion with others to effect leakage of question paper or answer key;

(iii) accessing or taking possession of question paper or an Optical Mark Recognition response sheet without authority;

(iv) providing solution to one or more questions by any unauthorised person during a public examination;

(v) directly or indirectly assisting the candidate in any manner unauthorisedly in the public examination;

(vi) tampering with answer sheets including Optical Mark Recognition response sheets;

(vii) altering the assessment except to correct a bonafide error without any authority;

(viii) willful violation of norms or standards set up by the State Government for conduct of a public examination on its own or through its agency;

(ix) tampering with any document necessary for short-listing of candidates or finalising the merit or rank of a candidate in a public examination;

(x) deliberate violation of security measures to facilitate unfair means in conduct of a public examination;

(xi) tampering with the computer network or a computer resource or a computer system;

(xii) manipulation in seating arrangements, allocation of dates and shifts for the candidates to facilitate adopting unfair means in examinations;

(xiii) threatening the life, liberty or wrongfully restraining persons associated with the public examination authority or the service provider or any authorised agency of the Government; or obstructing the conduct of a public examination;

(xiv) creation of fake website to cheat or for monetary gain; and

(xv) conduct of fake examination, issuance of fake admit cards or offer letters to cheat or for monetary gain.

4. Conspiracy for unfair means.—No person or group of persons or institutions shall collude or conspire to facilitate indulgence in any such unfair means.

5. Disruption to conduct public examination.—(1) No person, who is not entrusted or engaged with the work pertaining to the public examination or conduct of public examination or who is not a candidate, shall enter the premises of the examination centre, with intent to disrupt the conduct of the public examination.

(2) No person authorised, engaged or entrusted with the duties to conduct public examination shall, before the time fixed for opening and distribution of question papers—

(a) open, leak or possess or access or solve or seek assistance to solve such question paper or any portion or a copy thereof in unauthorised manner for monetary or wrongful gain;

(b) give any confidential information or promise to give such confidential information to any person, where such confidential information is related to or in reference to such question paper for monetary or wrongful gain.

(3) No person, who is entrusted or engaged with any work pertaining to public examination shall, except where he is authorised in furtherance of his duties so to do, reveal or cause to be revealed or make known to any other person any information or part thereof which has come to his knowledge for any undue advantage or wrongful gain.

6. Other offences.—If any person or group of persons or institution commits any unfair means or offence under sections 3, 4 and section 5, the service provider shall forthwith report the offence to the concerned police authorities and also inform the public examination authority:

Provided that if the service provider resorts to unfair means and commits the offence or is involved in facilitating an offence, the public examination authority shall report the same to the concerned police authorities.

7. No premises other than examination centre shall be used for public examination.—It shall be an offence for the service provider or any person associated with the service provider to cause any premises, other than the examination centre, authorised by the public examination authority, to be alternatively used for the purpose of holding public examination, without the written approval of the public examination authority:

Provided that nothing contained in this section shall be an offence where any change in the examination centre without prior consent of the public examination authority is due to any force majeure.

8. Offences in respect of service provider and other persons.—(1)Any person, including the person associated with a service provider, shall be deemed to have committed an offence if he individually or in collusion with any other person or group of persons or institutions assists any person or group of persons or institutions in any manner unauthorisedly in the conduct of public examination.

(2) Service provider or any person associated with it shall be deemed to have committed an offence if he fails to report incidence of any unfair means or commission of any offence.

(3) Where an offence committed by a service provider is, *prima facie*, established during investigation to have been committed with the consent or connivance of any director, manager, secretary or other officer of such service provider, such person shall also be liable to be proceeded against:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

CHAPTER III

PUNISHMENT FOR OFFENCES

9. Cognizable offences.—All offences under this Act, shall be cognizable, non-bailable and non-compoundable.

10. Punishment for offences under this Act.—(1) Any person or persons resorting to unfair means and offences under this Act, shall be punished with imprisonment for a term not less than three years but which may extend to five years and with fine up to ten lakh rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed, as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(2) The service provider shall also be liable to be punished with imposition of a fine up to one crore rupees and proportionate cost of examination shall also be recovered from such service

provider and he shall also be barred from being assigned with any responsibility for the conduct of any public examination for a period of four years.

(3) Where it is established during the investigation that offence under this Act has been committed with the consent or connivance of any Director, Senior Management or the persons in-charge of the service provider firm, he shall be liable for imprisonment for a term not less than three years but which may extend to ten years and with fine of one crore rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(4) Nothing contained in this section shall render any such person liable to any punishment under the Act, if he proves, that the offence was committed without his knowledge and that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

11. Organised crimes.—(1) If a person or a group of persons including the examination authority or service provider or any other institution commits an organised crime, he shall be punished with imprisonment for a term not less than five years but which may extend to ten years and with fine which shall not be less than one crore rupees. In case of default of payment of fine, an additional punishment of imprisonment shall be imposed as per the provisions of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

(2) If an institution is involved in committing an organised crime, its property shall be subjected to attachment and forfeiture and proportionate cost of examination shall also be recovered from it.

CHAPTER IV

INQUIRY AND INVESTIGATION

12. Officers empowered to investigate.—(1) An officer not below the rank of Deputy Superintendent of Police shall investigate any offence under this Act.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), the State Government shall have the powers to refer the investigation to any Investigating Agency.

CHAPTER V

MISCELLANEOUS

13. Members, officers and employees of public examination authority to be public servants.—The Chairperson, Members, officers and other employees of the public examination authority shall be deemed, when acting or purporting to act in pursuance of any of the provisions of this Act, to be public servants within the meaning of the Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023 (45 of 2023).

14. Protection of action taken in good faith by any public servant.—No suit, prosecution or other legal proceedings under this Act, shall lie against any public servant, in respect

of anything which is done in good faith or intended to be done in the discharge of his official functions or in exercise of his powers:

Provided that the public servants in the service of any public examination authority shall be subject to administrative action in terms of service rules of such public examination authority:

Provided further that nothing shall prevent proceeding against such public servants where, *prima facie* case exists for establishing commission of an offence under this Act.

15. Provisions of this Act to be in addition to other laws.—The provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force:

Provided that the provisions of this Act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being in force or any instrument having effect by virtue of any such law in force.

16. Power to amend THE SCHEDULE.—The State Government may, by notification published in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, amend or vary entries of THE SCHEDULE.

17. Power to make rules.—(1) The State Government may, by notification in the Rajpatra (e-Gazette), Himachal Pradesh, make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) In particular and without prejudice to the generality of the foregoing power, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:—

(a) to lay down procedures, processes and activities for being adopted to conduct the public examination; and

(b) any other matter which is to be or may be prescribed.

(3) Every rule made under this Act shall be laid, as soon as may be after it is made, before the Legislative Assembly, while it is in session, for a total period of not less than ten days which may be comprised in one session or in two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which it is so laid or the sucessive sessions aforesaid, the Legislative Assembly agrees in making any modification in the rule, or decides that the rule should not be made, the rule shall, thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be; without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

18. Power to remove difficulties.—(1) If any difficulty arises in giving effect to the provisions of this Act, the State Government may, by order, published in Rajpatra (e-Gazette) Himachal Pradesh, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary for removal of difficulty:

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of two years from the commencement of this Act.

(2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before the State Legislative Assembly.

THE SCHEDULE
[See section 2 (l)]

ANY EXAMINATION CONDUCTED BY—

1. Himachal Pradesh Public Service Commission, Shimla.

2. Himachal Pradesh Rajya Chayan Aayog, Hamirpur.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित
इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षरित राजपत्र, वैबसाइट http://rajpatrahimachal.nic.in पर उपलब्ध है एवम् ऑनलाइन सत्यापित किया जा सकता है।